17/10/15

पत्रावली पेश में वकील प्रार्थीगण तलबी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर पत्रावली आज तलब की जाकर पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर लोक अदालत की भावना से मुकदमा जरिये डिक्री खारिज फरमाने जाने का निवेदन किये जाने पर मुकदमा बाद जरिये डिक्री खारिज किया जा चुका है अतः उक्त प्रार्थना पत्र को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है अतः प्रार्थना पत्र डिक्री खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद [illegible] [illegible] नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो।

लोक अदालत की भावना से जरिये डिक्री खारिज करावें।

[signature]

जोधाराम

[signature]

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)